न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 02/2023 आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा –प्रार्थी	**बनाम**	1. दोला, गोपी पिता उंकार ढोली निवासी बांसडा तहसील भीलवाडा –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के राम/न्याय/अपील/एल.आर./2012/4158/भीलवाडा दिनेश पिता गोपी ढोली बनाम सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा निर्णय दिनांक 23.06.2022 में अंकन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम बांसडा की आ.न. 893/213 रकबा 0.16 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के राम/न्याय/अपील/एल.आर./2012/4158/भीलवाडा दिनेश पिता गोपी ढोली बनाम सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा निर्णय दिनांक 23.06.2022 रिमाण्ड होने पर प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विपक्षी को सम्मन नोटिस प्रेषित किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम बांसडा की आ.नं. 893/213 रकबा 0.16 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब में अंकित किया कि ग्राम बांसडा की आराजी संख्या 893/213 रकबा 0.16 बीघा का आवंटन विपक्षी को किया गया जो विपक्षी के नाम पर गैर खातेदारी से अंकित की गयी थी। विपक्षी ने आवंटन के बाद आवंटन नियमों की पूरी पालना कर भूमि को विकसित किया एवं निरंतर काश्त की है। मौका रिपोर्ट विपक्षी की अनुपस्थिति में बनायी गयी। विपक्षी ने कोई फोर्ज मिस रिप्रजेन्टेसन के आधार पर उक्त भूमि आवंटन नही करायी हैं। आवंटन के तीन वर्ष पश्चात् नियमानुसार आवंटी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कानून व नियमों में प्रावधान हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र असत्य एवं सारहीन होने से निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम बांसडा के आ.न. 893/213 रकबा 0.16 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई भी पुष्ट साक्ष्य पेश नही किया हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम बांसडा के आराजी नं. 893/213 रकबा 0.16 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार भीलवाडा को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम बांसडा की आ.न. 893/213 रकबा 0.16 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.12.25

(रणजीत सिंह)

अति. जिला कलक्टर

भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा